

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम -1948 से आवर्त नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं० 401/36-3-06-7(स्यू० दे०)/04 दिनांक 24.02.2006 से मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गई हैं, जिसकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग के 1/26 से कम न होगी। उक्त से अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को अखिल भारतीय उद्योगोपस्था मूल्य सूचकांक आधार 1982=100 के 522 अंकों के ऊपर तथा जनवरी 2009 से जून 2009 के औसत 693 (छः सौ तिरान्त्रे मात्र) पर दिनांक 01.10.2009 से दिनांक 31.03.2010 तक तथा जुलाई 2009 से दिसम्बर 2009 के औसत 762 (सात सौ सासठ) पर दिनांक 01.04.2010 से 30.09.2010 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की शीति गणना करके देय है :-

दृष्टान्त :- रूपये 2600.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत सूचकांक 762 पर दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 30.09.2010 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(762-522)

$$\frac{\quad}{522} \times 2600 = \text{रु० 1195.4 प्रतिमाह}$$

522

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें निम्नवत् है :-

क्र०	श्रेणी	प्रतिमाह मजदूरी रु० में	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रूपयें में	
			दि० 01.10.2009 से दि० 31.03.2010 तक	दि० 01.04.2010 से दि० 30.09.2010 तक
1	2	3	4	5
1	अकुशल	2600.00	651.72	1195.40
2	अर्द्ध कुशल	2964.00	970.97	1362.75
3	कुशल	3290.00	1077.76	1512.64

नियोजनों के नाम :-

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
- निष्पन्न उद्योग
- वासिल पेथों (स्प्रेटेड ड्रिक्स) के विनिर्माण
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला
- परतदार लकड़ी (स्टाईबुड) के उद्योग
- पेट्रोल और डीजल आयात पम्प
- डेरी और मिल्क डेरी
- सिले सिलायें कचड़ों की विनिर्माणशाला
- बॉक्सी टटबाच के निर्माण और अनुरक्षण, सिंघाई परियोजनाओं कूओं और तालाबों की खुदाई
- उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उद्देश्य पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों
- ढलाई घर
- धातु उद्योग
- टिन प्लेट शीपिंग और टिन प्रिंटिंग
- ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला
- चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग
- होजरी संकर्म
- निजी पुस्तकालय
- काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग
- प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्रोविडेंट सस्थारों भी सम्मिलित हैं।
- सन्धाकू विनिर्माण
- धर्मशाला
- वाग्निकी (फारेन्स्री) लटका बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उद्योग का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है,

26. पुष्कान
27. याणिक्य अधिष्ठान
28. चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल
29. तेल मिल
30. लोक गोटर परिवहन
31. यांत्रिक परिवहन कर्मशाला
32. आटोमोबाइल रिपेयरिंग कर्मशाला
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कुटने
35. दियतलाई उद्योग
36. आइसक्रेम/ आइस्क्रीम विनिर्माणशाला
37. बर्फ विनिर्माणशाला
38. एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला
39. लाकड़ी और धुलई अधिष्ठान
40. बेंकरी और मिस्क्यूट विनिर्माणशाला
41. सिमन के कार्य
42. सिविल कार्य
43. कोल्ड स्टोरेज
44. फाटरी, सिरीमिन्स या रिफ्रिजेटोर्स
45. लिजी मुद्रणालय
46. सिनेमा उद्योग
47. कपड़ा उद्योग
48. सिलाई उद्योग
49. एलैमिन्टियर आडुर्वैदिक, भूतानो कार्मरी
50. क्लब
51. हथकरघा (सिल्क की साई की बुनाई) जरी के कार्य
52. कपड़ा धोने या प्रमाथन के साधुन या सिलिकेट या साधुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण
53. ऊनी कन्वेल बनाने के अधिष्ठान
54. खाण्डसारी
55. हथकरघा उद्योग
56. शक्ति चालित करघा उद्योग
57. छोटा (मिनिस्पर) प्लव एबन् बौच उत्पादों के निर्माण
58. कागज, पत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग
59. इंट मडका उद्योग

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	स्थान
44	फाटरी, सिरीमिन्स या रिफ्रिजेटोर्स		
45	लिजी मुद्रणालय		
46	सिनेमा उद्योग		
47	कपड़ा उद्योग		
48	सिलाई उद्योग		
49	एलैमिन्टियर आडुर्वैदिक, भूतानो कार्मरी		

(एसओपीओ शुक्ल)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कूत श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर ।

पत्र सं- 1038/1059/स०अ०उ०- (म० मत्ता)

दिनांक 30-3-2010

- प्रतिलिपि :-
1. सनस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अदगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा नहीं जाने पर उपलब्ध कराएँ ।
 2. अनुसूचित उ०प्र० शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ ।
 3. प्रचार अधिकारी को सहाय्य-पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ ।
 4. प्रवर्तन प्रभाग ।
 5. नोटिस बोर्ड ।

(एसओपीओ शुक्ल)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कूत श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।